संख्याः1423/ VII-3-21 / 02(02)–एम0एस0एम0ई0 / 2021

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक / आयुक्त,
उद्योग विभाग,
देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग देहरादूनः दिनांकः22 अक्टूबर, 2021

विषयः– एक जनपद दो उत्पाद (ओडीटीपी) (One District Two Product) योजना–2021 के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

बाजार में मॉग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, रॉ–मैटिरियल बैंक की स्थापना, विपणन तथा वैज्ञानिक सोच व नवोन्मेष के आधार पर नया रूप दिये जाने की संभावनाओं के दृष्टिगत एवं उपलब्ध संसाधनों का यथोचित उपयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जनपद से दो उत्पादों को चिन्हित करते हुए, उनके उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने हेतु एवं प्रदेश के समग्र एवं समावेशी आर्थिक विकास तथा स्थानीय लोगों की आर्थिकी के उन्नयन के उद्देश्य से **एक जनपद दो उत्पाद (ओडीटीपी)** (One District Two Product) **योजना–2021 (परिशिष्ट–1)** संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जनपद से दो उत्पादों का चिन्हांकन जनपद में उपलब्ध संसाधनों, कच्चा माल, उत्पाद की उपलब्धता, डिजाइन, हस्तशिल्पी एवं बुनकर की उपलब्धता एवं कौशल संबंधित सुविधाओं की मैपिंग करते हुए किया गया है।

3. एक जनपद दो उत्पाद (ओडीटीपी) (One District Two Product) योजना–2021 में प्रोडक्ट पूर्व से ही चिन्हित कर लिये गये हैं और जो उत्पाद चिन्हित किये गये हैं, वो अन्य योजनाओं में भी चिन्हित है। ऐसे में पुनरावृत्ति की संभावना बन सकती है। इसलिए चिन्हित उत्पादों को हटाये जाने के संबंध में कार्यवाही की जानी होगी। इस हेतु विभाग सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरांत पुनरावृत्ति रोकने हेतु जनपद हेतु निर्धारित उत्पादों को परिवर्तित किये जाने की व्यवस्था बनायेगा। PMU के माध्यम से उत्पादों का चिन्हिकरण एवं क्रियान्वयन 6 माह के अंदर किया जाना होगा।

संलग्नक–1–योजना (परिशिष्ट–1)

2–योजान्जर्गत चिन्हित उत्पादों की सूची(परिशिष्ट–2)

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

क्रमशः.....2

संख्याः ( )/VII-3-21/02(02)–एम0एस0एम0ई0/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त, कुमाऊ/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौडी।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
10. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड।
12. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्डं।
13. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, द्वारा निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

शासनादेश सं0–1423 /VII-3-21/02(02)–एम0एस0एम0ई0/2021, दिनांक अक्टूबर,2021 का संलग्नक

एक जनपद दो उत्पाद (ओडीटीपी) (One District Two Product) योजना 2021

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड में राज्य के कुल 13 जनपदों में जनपदं उधमसिंह नगर तथा हरिद्वार का सम्पूर्ण भू–भाग मैदानी है, वहीं जनपद नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल तथा देहरादून का कुछ भाग मैदानी और कुछ भाग पर्वतीय है तथा अन्य सभी जनपद पूर्ण रूप से पर्वतीय हैं।

राज्य गठन से पूर्व प्रदेश के मैदानी जनपदों को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय जनपदों में स्थानीय मांग पर आधारित सूक्ष्म व लघु उद्योग, जिनमें वूडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, खादय एवं फल प्रसंस्करण, बेकरी, वूलन शॉल, कालीन, डेकोरेटिव कैण्डिल, हथकरघा तथा हस्तकला प्रमुख हैं, स्थापित थे। हथकरघा एवं हस्तशिल्प के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा चमोली में वूलन शॉल, ट्विड, कालीन, नमदा आदि के निर्माण, जनपद अल्मोड़ा व बागेश्वर में ताम्रशिल्प, जनपद नैनीताल में सोविनियर उद्योग के रूप में डेकोरेटिव केण्डिल, जनपद पिथौरागढ़ व चमोली में रिंगाल की वस्तुओं का निर्माण होता था, किन्तु वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के पश्चात बाहर से आयातित तथा मशीनीकृत निर्मित उत्पादों के बाजार में आने, क्रेताओं को वस्तुओं की खरीद के लिए कम कीमत पर बेहतर विकल्प उपलब्ध होने, नयी तकनीक व डिजाइन के उत्पादों की उपलब्धता से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण धीरे–धीरे यह उद्योग बन्दी के कागार पर आ गये।

राज्य गठन के पश्चात बदली हुई परिस्थितियों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, राज्य में पर्यटकों के आवागमन तथा ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा विकसित होने से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हथकरघा, हस्तशिल्प तथा सोविनियर उद्योगों में उत्पादित उत्पादों की ओर रूझान बढ़ा है। पूर्व से निर्मित उत्पादों के अतिरिक्त हस्तकला के रूप में एपण, बैम्बू तथा मूंझ घास से निर्मित उत्पादों, लकड़ी के कलात्मक आकृतियों तथा जैविक उत्पादों को सोविनियर के रूप में पहचान मिली है। यदि इन उद्योगों को समुचित तकनीकी प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता तथा नवोन्मेष के आधार पर पुर्नस्थापित किया जाता है, तो इनके उत्पादों को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है और स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्द्धन के साथ–साथ रोजगार के अधिक अवसर सृजित हो सकते हैं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में राज्य के 11 जनपदों के 15 विकासखण्डों में हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की गयी थी। योजनान्तर्गत शिल्पियों को डिजाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, टूलकिट वितरण, मार्केटिंग एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की सुविधा आदि का लाभ उपलब्ध कराया गया। योजना में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID), राष्ट्रीय फैशन प्रैद्योगिकी संस्थान (NIFT) तथा भारत क्राफ्ट एवं डिजाइन संस्थान (IICD) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के डिजाइनरों के मार्गदर्शन में डिजाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित किये गये, जिसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के उपरान्त बाजार मांग के अनुरूप नये डिजाइन के उत्पाद विकसित हो रहे हैं। बुनकर/शिल्पी/स्वयं सहायता समूह को लगातार वस्तुओं के आपूर्ति आदेश प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें शिल्प एपण एवं मूंझ घास के उत्पादों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। शिल्पियों को डिजाइन प्रशिक्षण के साथ–साथ निरन्तर उत्पादन किये जाने हेतु हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट तथा डिजाइनरों के नियमित मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है, जिसके परिणामस्वरूप ही शिल्पियों द्वारा उच्च कोटी के शिल्प उत्पादों का उत्पादन अब किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन से शिल्पी पुनः शिल्प कार्यों को अपनाने हेतु प्रेरित हुए हैं। नवीन डिजाइन के शिल्प उत्पादों को ई–कॉमर्स पोर्टल अमेजन पर भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

राज्य के प्रत्येक जनपद की अपनी विशिष्टतायें हैं और इन जनपदों में उत्पादित उत्पादों में मूल्य संवर्द्धन की व्यापक सम्भावनायें हैं। अतः यदि नवीन तकनीक व डिजाइनिंग का प्रशिक्षण देकर क्रेता की पसन्द के अनुसार कम लागत पर गुणवत्तायुक्त हथकरघा, हस्तशिल्प तथा सोविनियर उत्पादों का निर्माण किया जाता है, तो स्थानीय बाजार के साथ–साथ राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मांग बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

चारधाम यात्राकाल में यहां के कारीगर इन उत्पादों के विक्रय से अच्छी आय अर्जित करते हैं, जिनमें डिजाइन विकास एवं उन्नत तकनीक से उत्पादन को बढावा देने की आवश्यकता है, ताकि इनको और अधिक बाजारोन्मुख बनाया जा सके। वर्तमान में राज्य में उत्पाद आधारित ग्रोथ सेंटर योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है जिसके अंर्तगत राज्य में 106 से अधिक ग्रोथ सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। इन ग्रोथ सेन्टर्स में राज्य सरकार द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना की गई है तथा ये सेंटर एक जनपद दो उत्पाद के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।

प्रदेश में प्रत्येक जनपद में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन के लिए कौशल की कमी एवं दस्तकारों की संख्या सीमित है तथा यह बहुत बड़े क्लस्टर नहीं हैं। प्रत्येक जनपद में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन की सीमित मात्रा एवं भौगोलिक दृष्टि से एक जनपद में एक ही उत्पाद के चयन व्यवहार्य न होने के कारण **एक जनपद दो उत्पाद** की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारम्भ की जा रही है।

एक जनपद दो उत्पाद योजनान्तर्गत राज्य के प्रत्येक जनपद से दो उत्पादों का चिन्हांकन जनपद में उपलब्ध संसाधनों, जैसे कच्चा माल, उत्पाद की उपलब्धता, डिजाइन, हस्तशिल्पी एवं बुनकरों की उपलब्धता एवं कौशल सम्बन्धित सुविधाओं की मैपिंग करते हुए किया गया है **(चिन्हित उत्पादों की सूची/संलग्नक–1)**। इस योजना को सफल बनाने के लिए बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास तथा डिजाइन विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, रॉ मैटीरियल बैंक की स्थापना, विपणन तथा वैज्ञानिक सोच एवं नवोन्मेष के आधार पर नया रूप दिया जाना प्रस्तावित है। इन सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध संसाधनों का यथोचित उपयोग करते हुए प्रदेश के समग्र एवं समावेशी आर्थिक विकास तथा स्थानीय लोगों की आर्थिकी के उन्नयन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **एक जनपद दो उत्पाद योजना** प्रारम्भ की जा रही है।

योजना का सूक्ष्म नाम व विवरणः यह योजना **'एक जनपद दो उत्पाद' (One District Two Product) योजना 2021** कहलायेगी।

1. **उद्देश्यः** उत्तराखण्ड एक जिला दो उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड के 13 जिलों में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन का संकुल बनाना है, जो चिन्हित उत्पादों के उत्पादन को बढावा देंगे और राज्य के जिलों की पहचान बनेंगे। योजना का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैः

   i. परम्परागत तथा सोविनियर शिल्पों एवं उद्यमों का तेजी से विकास।

   ii. स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्द्धन।

   iii. स्थानीय शिल्प कारीगरी कला का संरक्षण, प्रचार–प्रसार एवं विपणन।

   iv. ग्राहकों की मांग के अनुरूप आकर्षक, प्रभावी लागत, उच्च गुणवत्ता तथा सुसंगत उत्पादों का निर्माण।

   v. आय एवं रोजगार में बृद्धि परिणामस्वरूप रोजगार के लिए पलायन पर रोक।

   vi. उत्पादों के डिजाइन और गुणवत्ता में अभिवृद्धि।

   vii. उत्पादों के प्रोटोटाइप विकास विविधिकरण हेतु पैकेजिंग एवं ब्रान्डिंग को बढ़ावा देना।

   viii. उत्पादन को पर्यटन से जोडने के लिए लाइव डेमो और बिक्री आउटलेट, सोवेनियर एवं विवरणिका (Brochure) का विकास।

   ix. आर्थिक असमानता एवं क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या को हल करने के लिए राज्य स्तर पर सफल क्रियान्वयन के बाद एक जनपद दो उत्पाद की अवधारणा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित करना।

2. **कार्ययोजना/क्रियान्वयनः** प्रदेश के ऐसे उद्यगियों, उद्यमशील युवाओं, दस्तकारों, हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार हेतु अभिप्रेरित कर एवं आवश्यक मार्ग–दर्शन देकर एक जनपद दो उत्पाद योजना में चिन्हित उत्पाद के गुणवत्तायुक्त निर्माण तथा विपणन एवं ब्राण्डिंग हेतु केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से डवटेलिंग कर जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रत्येक जिले से उत्पादों के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जानी हैः

   i. कच्चा माल की उपलब्धता, कुल उत्पादन, संचालन एवं हितधारकों के संबंध में डेटाबेस तैयार करना ओर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

   ii. उत्पाद के उत्पादन एवं विकास एवं विपणन के संबंध में सम्भावनाओं पर अनुसंधान करना।

iii. उत्पाद विकास एवं विपणन प्रोत्साहन के लिए एक सूक्ष्म योजना तैयार करना और संबधित कारीगरों और श्रमिकों के रोजगार और वेतन वृद्धि के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना।

iv. जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन, प्रचार प्रसार और विपणन के अवसर प्रदान करना।

v. "एक जनपद दो उत्पाद" को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में लोकप्रिय बनाने एवं प्रतिष्ठित करने हेतु लोगो विकसित किया जायेगा।

vi. शिल्प और प्रोद्यौगिकी विकास का सामान्य और तकनीकी प्रशिक्षण।

vii. सहकारी समितियों और एसएचजी की स्थापना करना।

viii. वर्ष में एक बार ओडीटीपी सप्ताह मनाया जायेगा जिसमें जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों, ट्रेड फेयर्स, सेमिनार्स एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।

ix. एक जनपद दो उत्पाद योजना के क्रियान्वयन के लिए उद्योग निदेशालय स्तर पर एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) की स्थापना की जायेगी, ताकि प्रत्येक जनपद के लिए आवश्यकतानुसार कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित किया जा सके।

3. **योजना के विभिन्न अवयवों की उपलब्धता एवं प्रोत्साहन सहायता:**

(a) **मार्जिन मनी सहायता:** एक जनपद दो उत्पाद योजनान्तर्गत (ओडीटीपी) प्रत्येक जनपद में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन के लिए नयी एवं पूर्व से कार्यरत इकाईयों के विस्तारीकरण पर राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पीएमईजीपी, एमएसएमई नीति–2015, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना आदि से डवटेलिंग कर राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंको व अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से सभी पात्र विनिर्माणक, सेवा व व्यवसायिक गतिविधियों की स्थापना के लिए वित्त पोषण किया जायेगा। लाभार्थी को उपरोक्त योजनाओं में विहित प्राविधानों के तहत पात्रता के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ भी अनुमन्य होगा।

(b) **सामान्य सुविधा केन्द्र सहायता:** इस योजना के अर्न्तगत एसएचजी एवं स्वयं सहायता समूह भी सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना में निर्धारित किए गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किए गये उत्पाद के उत्पादन से लेकर विपणन तक के समस्त अवयवों यथा कच्चा माल, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं उर्जा संरक्षण तथा पैकेजिंग, आदि से सम्बन्धित सुविधाओं के विकास हेतु सीएफसी प्रोत्साहन योजना के अर्न्तगत जनपद हेतु चिन्हित उत्पादों से सम्बन्धित निम्नलिखित क्रियाकलापों हेतु योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुरूप सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी:

i. टेस्टिंग लैब।

ii. डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर।

iii. तकनीकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र।

iv. उत्पाद प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र।

v. रामैटेरियल बैंक।

vi. कामन रिसोर्स सेंटर।

vii. कामन प्रोडेक्शन/प्रोसेसिंग सेंटर।

viii. कामन लाजिस्टिक सेंटर।

ix. सूचना संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रसारण केन्द्र।

x. पैकेजिंग, लेबलिंग एवं बारकोडिंग सुविधायें।

xi. अन्य मिसिंग लिंक से सम्बन्धित सुविधायें।

योजनान्तर्गत उपरोक्त सुविधाओं व केन्द्रों का विकास भी केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, जैसे क्लस्टर विकास योजना, मेगा क्लस्टर योजना, स्फूर्ति योजना, डीसी हैण्डलूम एवं डीसी हैण्डीक्राफ्ट की सामान्य सुविधा केन्द्र योजना (CFC), ग्रोथ सेन्टर योजना जैसी योजनाओं से डवटेलिंग करते हुए किया जायेगा। सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव, इस योजना हेतु विशेष रूप से गठित स्वंय सहायता समूह, सहकारी संस्थायें, सहकारिता एवं प्रोडयूसर कम्पनी हो सकती हैं।

(c) **कौशल/उद्यमिता विकासः** कौशल विकास हेतु जनपदवार चिन्हित किये गये उत्पादों के निर्माण के कौशल में विशिष्ट प्रशिक्षण तथा सामान्य उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए उत्पाद में गुणात्मक सुधार करना एवं उत्पादक में उद्यमिता का संचार करना है जिससे उत्पाद की बाजार मांग में वृद्धि हो तथा उत्पादक को मूल्य वृद्धि का लाभ पहुँचे। एक जिला दो उत्पाद से जुडे सभी हस्तशिल्पी, बुनकर, अकुशल कारीगर एवं उद्यमी इस योजना के अर्न्तगत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थायें जो इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करती हों, के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। योजना में प्रमाणित प्रशिक्षण केन्द्रों (निसबड, आईआईएम, आईआईटी, आईआईपी, पॉलीटेक्निक/ इंजीनियरिंग कालेज, आईटीआई एवं आर सेटी) से भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी और आवश्यकता होने पर इसके लिए योजना में बजट प्राविधान किया जायेगा।

(d) **डिजाइन विकासः** डिजाइनर्स की सहायता से डिजाइन डवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के डिजाइन विकास हेतु विकास आयुक्त, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से डवटेलिंग करते हुए प्रोटोटाइप विकास किया जायेगा।

(e) **पैकेजिंग एवं लैबलिंगः** पैकेजिंग एवं लैबलिंग सहायता हेतु योजनान्तर्गत चिन्हित उत्पाद के पैकेजिंग एवं लैबलिंग विकास पर हुए व्यय भार की प्रतिपूर्ति हेतु एक बार में 90 प्रतिशत तक एक मुश्त सहायता दिये जाने हेतु योजनान्तर्गत बजट में आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।

(f) **विपणन सहायताः** चिन्हित किए गये उत्पादों के विपणन से सम्बन्धित हस्तशिल्पियों बुनकरों, कारीगरों, उद्यमियों एवं निर्यातक इकाईयों को उनके उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग एवं उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु आर्थिक सहायता विकास आयुक्त, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, ईपीसीएच (Export Promotion Council for Handicraft) तथा ईपीसीआई (Export Promotion Council of India) भारत सरकार की मार्केटिंग सहायता योजनाओं से डवटेलिंग करते हुए उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन विपणन प्रोत्साहन सहायता निम्नवत् प्रदान की जायेगीः

i. जनपद/राज्य/राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मेला, प्रदर्शनी एवं सेमिनार/बायर सेलर मीट में प्रतिभाग पर स्टाल किराया व्यय तथा ई–मार्केटिंग आदि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित योजनाओं/राज्य सरकार की मार्केटिंग योजना के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

ii. मेला एवं प्रदर्शनी में सहभागिता के लिए आने जाने के व्यय की प्रतिपूर्ति तथा आवास के लिए सामूहिक व्यवस्था की जायेगी।

iii. आनलाइन मार्केटिंग की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ किये जाने पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति योजना के अनुसार देय होगी।

(g) **ब्राण्डिंगः** एक जनपद दो उत्पाद योजना में निर्धारित किए गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किए गये उत्पादों की ब्रान्डिंग के लिए बस स्टाप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सरकारी गेस्ट हाउस, अदि स्थानों पर चिन्हित उत्पादों के लोगो यूक्त ग्लो साइन बोर्ड, होर्डिंग्स, फलैक्स बैनर आदि के माध्यम से ब्राडिंग की जायेगी। विभाग द्वारा चिन्हित उत्पादों के विपणन हेतु शो केस/विक्रय केन्द्र खोले जायेंगे और विकास आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हथकरघा, भारत सरकार की योजनाओं से डवटेलिंग कर सहायता प्रदान की जायेगी।

4. **योजना का कार्यक्षेत्रः** यह योजना क्रमांक–3 पर दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू रहेगी।

5. **योजना का क्रियान्वयनः** योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड नोडल विभाग होगा। योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा।

6. **पात्र गतिविधियांः** पात्र गतिविधियों में एक जनपद दो उत्पाद योजना में जनपद हेतु चिन्हित दो उत्पादों के विर्निमाण/सेवा तथा राज्य के सभी 26 उत्पादों के व्यवसाय से सम्बन्धित गतिविधि शामिल है।

7. **योजना का अनुश्रवणः**

(a) योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति सतत समीक्षा करेगी। जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLRC) की बैठक के साथ आहूत की जा सकती है।

(b) समिति लम्बित प्रकरणों, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय जो समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, की समीक्षा करेगी।

(c) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगेः

i.	जिलाधिकारी।	–	अध्यक्ष।
ii.	मुख्य विकास अधिकारी।	–	सदस्य।
iii.	जिला अग्रणी बैंक के प्रबन्धक।	–	सदस्य।
iv.	तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि।	–	सदस्य।
v.	जिला सेवायोजन अधिकारी।	–	सदस्य।
vi.	आई.टी.आई./पॉलिटैक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि।	–	सदस्य।
vii.	जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी।	–	सदस्य।
viii.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।	–	सदस्य सचिव।

नोटः आवश्यक होने पर जिलाधिकारी किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकेंगे।

8. **योजना का प्रचार–प्रसारः** योजना के प्रचार–प्रसार का दायित्व सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र योजनान्तर्गत स्वरोजगार अपनाने हेतु

अभिप्रेरित करने के लिए कार्यशाला शिविरों का आयोजन करेंगे और इन शिविरों में उद्यमशील युवाओं/युवतियों को विभागीय योजनाओं, स्वरोजगार के अवसरों, परियोजनाओं के चयन तथा उद्यम स्थापना हेतु अपेक्षित सभी जानकारियां देते हुए हर सम्भव सहायता/मार्ग–दर्शन भी दिया जायेगा।

9. **विविधः**

i. योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु DLRC तथा DLTFC (जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी) द्वारा समीक्षा की जायेगी। राज्य स्तर पर SLBC द्वारा योजना की समीक्षा की जायेगी।

ii. योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, एम0एस0एम0ई0, उत्तराखण्ड शासन द्वारा की जायेगी।

iii. प्रत्येक उत्पाद एवं क्लस्टर के लिए विस्तृत कार्ययोजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा तैयार करायी जायेगी और आवश्यकतानुसार बजट की व्यवस्था की जायेगी।

iv. योजना के किसी प्राविधान के संशोधन, परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण प्रशासनिक विभाग के मा0 मंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।

v. योजना में संशोधन अथवा स्पष्टीकरण जारी करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिकृत होगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

List of One District Two Product (ODTP) & One District One Product (ODOP)

S.n.	District	ODTP Products (Uttarakhand)	ODOP Product (Invest India)
1	Almora	Baal Mithai Handloom (Almora Tweed)	Bal Mithai
2	Bageshwar	Copper based products Kiwi based products	Copper Products
3	Chamoli	Rose Water Handloom products and carpet	Nettle Products
4	Champawat	Honey Iron based products	Himalayan Honey
5	Dehradun	Bakery products Mushroom	Bakery
6	Haridwar	Honey Jaggery	Jaggery
7	Nainital	Aipan Craft Fruit Processing	Aipan Product
8	Pauri	Herbal Medicine Wooden Crafts	Herbal Products
9	Pithoragarh	Munsyari Rajma Woollen Carpets	Wollen Products
10	Rudraprayag	Choulai based product Temple Imitation Products	Temple Imitation (Wood Crafts)
11	Tehri	Paneer Tehri Nath	Natural Fibre Products
12	US Nagar	Mentha Oil Moonj Grass Products	Moonj Grass Products
13	Uttarkashi	Apple base products Red Rice	Red Rice